07/2022/1/133071/2022-71-2099/678/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कतिपय भवनों में लगे जनरेटरों को समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन/ अधिष्ठापन कार्य की प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-10035/योजना अनु0/2021, दिनांक 15.**12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर, गांधी वार्ड तथा पी0आर0ओ0 के सामने जनरेटर रूम में लगे कुल** 09 **जनरेटरों को समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन/ अधिष्ठापन कार्य की प्रायोजना हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।**

2- **अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-** 60/2021//70273/2021-**71-2099/678/2021, दिनांक** 12 **जून,** 2021 **के द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रयोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन** (**अप्रेजल**) **एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0** 358.77 **लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0** 179.385 **लाख** (**रू0 एक करोड उन्नयासी लाख अडतीस हजार पॉच सौ मात्र**) **अवमुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।**

3**- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 15**.12.2021 **के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 लखनऊ के आर0ए0एल0सी0 परिसर, गांधी वार्ड तथा पी0आर0ओ0 के सामने जनरेटर रूम में लगे कुल** 09 **जनरेटरों को समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन/ अधिष्ठापन कार्य की प्रायोजना हेतु प्रयोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन** (**अप्रेजल**) **एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0** 358.77 **लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के 24- वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 179.385 लाख** (**अनुदान संख्या- 31 से रू0 141.71415 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 37.67085 लाख**) **अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-**

1) **कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक** 22 **मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव की होगी।

3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

6) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

9) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति /कुलसचिव की होगी।

10) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

11) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

12) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर /ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

14) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर विश्वविद्यालय के कुलपति/ कुलसचिव द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से धनराशि रू0 141.71415 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा धनराशि रू0 37.67085 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 07-2022
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/18/2022 6:03:00 PM
Change Number: 3
Last Saved On: 1/18/2022 6:03:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 1/18/2022 6:03:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 1,067 (approx.)
Number of Characters: 6,088 (approx.)